रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2014/भाद्र 17, 1936
No. 260] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2014/BHADRA 17, 1936

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2014

सं.एन-10/16/2013-पीपीसी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (आकाशवाणी समाचार वाचक-सह-अनुवादक पद) सेवा विनियम 2002 का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या छोड़े गए कार्यों के अतिरिक्त, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से आकाशवाणी में समाचार वाचक-सह-अनुवादक (ग्रेड-I), (ग्रेड-II) और (ग्रेड-III) के पदों के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आकाशवाणी, समाचार वाचक-सह-अनुवादक (ग्रेड-I), (ग्रेड- II) और (ग्रेड- III) भर्ती विनियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान – उक्त पद की संख्या, इनका पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (3) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (4) से (11) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. वरिष्ठता – इन विनियमों के अंतर्गत भर्ती होने वाले समाचार वाचक-सह-अनुवादक की पारस्परिक वरिष्ठता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार होगी।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और प्रसार भारती भर्ती बोर्ड से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों में कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, इनसे संबंधित जिनका सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान
1	2	3	4
1. समाचार वाचक-सह-अनुवादक (ग्रेड-I)	20* (2014) * (परिवर्तन कार्य की मात्रा के अधीन होगा) टिप्पणी: प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में प्रति-नियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।	ग्रुप 'ए'	पे बैंड-3 (15,600-39,100/- और रु.7600/- ग्रेड पे

क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होती हैं
5	6	7	8
चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IndiaCode

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	**भर्ती की पद्धति:** चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन कियां जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसके सदस्य कौन हैं
9	10	11	12
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा	**पदोन्नति** : समाचार वाचक सह अनुवादक (ग्रेड-II) के पद में पे बैंड-3, रू.15600-39100/- ग्रेड पे 6600 सहित 5 वर्ष की नियमित सेवा **टिप्पणी** 1 : जहां कनिष्ठ कर्मियों ने अपनी अर्हता/ योग्यता सेवा पूर्ण कर ली हो पदोन्नति के लिए पात्र हैं। उनके वरिष्ठ भी कनिष्ठों के साथ उच्च पद पर पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता/ योग्यता सेवा इन अर्हता/ योग्यता सेवा की आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति के लिए परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी हो गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता/योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है। **टिप्पणी 2**: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकता सेवा को आंकने के प्रयोजन से 1 जनवरी 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवाएं या छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा का विस्तार किया गया हो, उसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संबंधित ग्रेड पे या विस्तार किए गए पे स्केल में की गई सेवा माना जाएगा।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति विचार हेतु): 1. प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य अध्यक्ष प्रसार भारती भर्ती बोर्ड; अध्यक्ष; 2. महानिदेशक (समाचार) समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी : सदस्य; 3. अपर महानिदेशक (कार्यक्रम), आकाशवाणी : सदस्य; 4. उप महानिदेशक (प्रशा.), आकाशवाणी: सदस्य

1	2	3	4
2.समाचार वाचक-सह-अनुवादक (ग्रेड-II)	60* (2014) * (परिवर्तन कार्य की मात्रा के अधीन होगा) **टिप्पणी:** प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।	ग्रुप 'ए'	पे बैंड-3 (15,600-39,100/- और रु.6600/- ग्रेड पे

5	6	7	8
चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	**पदोन्नति :** समाचार वाचक सह अनुवादक (ग्रेड-III) पे बैंड 2, रु.9300 से 34800/, ग्रेड पे 4600 के पद में 7 वर्ष की नियमित सेवा **टिप्पणी 1:** जहां कनिष्ठ कर्मियों ने अपनी अर्हता/ योग्यता सेवा पूर्ण कर ली हो पदोन्नति के लिए पात्र हैं, उनके वरिष्ठ भी कनिष्ठों के साथ उच्च पद पर पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता/ योग्यता सेवा इन अर्हता/ योग्यता सेवा की आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति के लिए परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी हो गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता/ योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है। **टिप्पणी-2:** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकता सेवा को आंकने के प्रयोजन से	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति विचार हेतु): 1.प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य अध्यक्ष; 2. महानिदेशक (समाचार) समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी: सदस्य; 3. अपर महानिदेशक (कार्यक्रम) आकाशवाणी : सदस्य; 4.उप महानिदेशक (प्रशा.) आकाशवाणी : सदस्य।

IndiaCode

		1 जनवरी 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवाएं या छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा का विस्तार किया गया हो, उसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संबंधित ग्रेड पे या विस्तार किए गए पे स्केल में की गई सेवा माना जाएगा।	

1	2	3	4
3. समाचार वाचक-सह-अनुवादक (ग्रेड-**III**)	158* (2014) * (परिवर्तन कार्य की मात्रा के अधीन होगा) **टिप्पणी :** प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्ति-वत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।	ग्रुप 'बी'	पे बैंड-2 (9,300-34,800/- और रु.4600/- ग्रेड पे

5	6	7	8
लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (प्रसार भारती के कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट (उक्त पद में की गई सेवा के आधार पर प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में और नैमित्तिक कर्मियों को उनकी सेवा के आधार पर छूट) **टिप्पणी 1:** प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में समाचार वाचक सह-अनुवादक के रूप में नैमित्तिक रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों की सेवा की गणना करते हुए कैलेंडर वर्ष में एक सौ बीस	अनिवार्य: (क) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक डिग्री (ख) रिक्ति से संबंधित समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों या समाचार संगठनों में न्यूज आइटमों का अंग्रेजी में अनुवाद या हिंदी संपादित स्क्रिप्ट का संबंधित भाषा में अनुवाद में तीन वर्ष का अनुभव। (ग) रिक्ति से संबंधित भाषा में दक्षता (घ) प्रसारण के लिए उपयुक्त अति उत्तम आवाज। और **टिप्पणी 1:** संबंधित भाषा में दक्षता का अर्थ है कि अर्हक	लागू नहीं

3539 GI/14-2

IndiaCode

	दिन की अवधि को एक वर्ष माना जाएगा। **स्पष्टीकरण :** की गई सेवा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नैमित्तिक आधार पर समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में कैलेंडर वर्ष में एक सौ बीस दिन की कुल अवधि को एक वर्ष माना जाएगा और कैलेंडर वर्ष में एक सौ बीस दिन की अवधि से कम आयु में छूट की निर्हरता होगी। **टिप्पणी 2:**आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवार से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और असम, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप प्रभाग, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है)	को उस भाषा का ज्ञान कम से कम दसवीं तक हो। **टिप्पणी 2:** संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी भारतीय भाषाओं में से सीधी भर्ती की जाएगी। **टिप्पणी 3:** उपयुक्त भाषा की आवश्यकता को प्रत्येक भर्ती के समय इंगित किया जाएगा। **टिप्पणी 4:** नियुक्ति के लिए चयनित सभी उम्मीदवारों को प्रसार भारती भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ऑडिशन टेस्ट में अर्हकता प्राप्त करनी होगी। **वांछनीय:** (क) रिक्ति से संबंधित भाषा और हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में दक्षता (ख) रेडियो, पत्रिकाओं या किताबों या समाचार एजेंसियों या समाचार संगठनों में कार्य अनुभव। (ग) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, गतिविधियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों का ज्ञान।	

9	10	11	12
दो वर्ष	प्रसार भारती भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती।	लागू नहीं।	विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण विचार हेतु): 1. महानिदेशक (समाचार) समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी: सदस्य; 2. अपर महानिदेशक (कार्यक्रम) आकाशवाणी : सदस्य; 3. उप महानिदेशक (प्रशा.) आकाशवाणी : सदस्य ।

ब्रिडेडियर (अव. प्राप्त) एस. विश्वानाथन, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/असा./163/64]

PRASAR BHARATI
(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th August, 2014

No. N-10/16/2013-PPC.— In exercise of the powers conferred by Section 9 read with clause (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Akashvani News Reader-cum-Translator posts) Service Regulations, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), with the prior approval of the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of News Reader-cum-Translator (Grade I), (Grade II) and (Grade III), in Akashvani, Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), namely:—

1. **Short title and commencement –**
 (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), Akashvani, News Reader-cum-Translator (Grade I), (Grade II) and (Grade III) Recruitment Regulations, 2014
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, pay band and grade pay or pay scale** - The number of posts, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) and (3) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (4) to (11) of the aforesaid Schedule.

4. **Seniority** – The inter-se seniority of News Reader-cum-Translators who are appointed under these regulations shall be in accordance with the general instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.

5. **Disqualification** - No person,—
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. **Power to relax** – Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Prasar Bharati Recruitment Board and with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and grade pay or pay scale
1	2	3	4
1. News Reader-cum-Translator (Grade- I)	20* (2014) *(Subject to variation dependent on the work load). **Note:** The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'A'	Pay band-3 Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 7600/-.

Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
5	6	7	8
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
9	10	11	12
Not applicable	By promotion.	**Promotion** News Reader-cum-Translator (Grade –II) in pay band -3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs. 6600, with five years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Chairman or Member, Prasar Bharati Recruitment Board : Chairman; (2) Director General (News), News Service Division, Akashvani : Member; (3) Additional Director General (Programme) , Akashvani: Member; (4) Deputy Director General (Administration) , Akashvani: Member

		date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.	

1	2	3	4
2. News Reader-cum-Translator (Grade- II)	60* (2014) *(Subject to variation dependent on the work load). **Note:** The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'A'	Pay band-3 Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600/-

5	6	7	8
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12
Two years	By promotion	**Promotion:** News Reader-cum-Translator (Grade - III) in the pay band -2, Rs. 9300-34,800 with grade pay of Rs.4600 with seven years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Chairman or Member, Prasar Bharati Recruitment Board : Chairman; (2) Director General (News), News Service Division, Akashvani : Member; (3) Additional Director General (Programme) , Akashvani : Member; (4) Deputy Director General (Administration) , Akashvani : Member;

3539 GI/14-3

		successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.	

1	2	3	4
3. News Reader-cum-Translator (Grade- III)	158* (2014) * (Subject to variation dependent on the work load). **Note:** The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'B'	Pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600/-

5	6	7	8
Not applicable	Not exceeding 30 years. [Relaxable for employees of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) up to five years	**Essential** a) Bachelor's degree from a recognized University;	Not applicable.

	and for casual assignees working as News Reader-cum-Translator in the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) to the extent of their services rendered in the said post] **Note 1:** While calculating the service of the casual assignees working as News Reader-cum-Translator in the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), a period of one hundred and twenty days service in a calendar year shall be reckoned as one year service. **Explanation** – For the purposes of determining the extent of service rendered, engagement of an assignee for a total period of one hundred and twenty days in a calendar year as News Reader-cum-Translator on casual basis shall be taken as one year and any period less than one hundred and twenty days in a calendar year shall not qualify for relaxation of age. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)	b) Three years working experience in News papers, news agencies or news organizations in translating the news items from English or Hindi edited scripts to the concerned languages relevant to the vacancy. c) Proficiency in the language relevant to the vacancy. d) Voice of very good quality suited for broadcasting; **Note 1:** Proficiency in the relevant language means that a candidate must have studied in that language up to matriculation. **Note 2:** Direct recruitment shall be made to any of the Indian languages specified in Eighth Schedule to the Constitution. **Note 3:** The exact language requirement shall be indicated at the time of each recruitment. **Note 4:** All candidates short-listed for appointment shall be required to qualify an audition test to be conducted by Prasar Bharati Recruitment Board. **Desirable:** a) Proficiency in any other Indian language besides Hindi or English and the concerned language relevant to the vacancy. b) Experience of writing for radio, periodicals or books or experience of work in news papers or news agencies or news organization. c) Knowledge of current national or international affairs, events and personalities.	

9	10	11	12
Two years	By direct recruitment through a written examination conducted by the Prasar Bharati Recruitment Board	Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Director General (News), News Service Division, Akashvani : Member; (ii) Additional irector General (Programme), Akashvani: Member; (iii) Deputy Director General (Administration), Akashvani : Member.

Brig (Retd.) S.VISVANATHAN, Addl. Director General (Admn.)
[ADVT. III/4/Exty./163/64]

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.